भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1304

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

अनुसूचित जाति उप-योजना का कार्यान्वयन

1304. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत कितनी निधियां संवितरित की गई हैं;

(ख) क्या आवंटित निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, जिसके लिए उन्हें आवंटित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इन निधियों के उपयोग की जांच करने के लिए कोई लेखा परीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पीएम-अजय स्कीम के 'अनुदान सहायता' घटक (एससीएसपी को एससीए की पूर्ववर्ती स्कीम) के अंतर्गत वितरित राशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ): पीएम-अजय एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। पीएम-अजय के अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं और स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। निधियों के उपयोग के बाद, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 30.07.2024 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1304

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	वितरित निधियां (रुपए में)	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (रुपए में)
1.	2019-20	6050.00	6050.00
2.	2020-21	2907.25	2907.25
3.	2021-22	5999.83	5999.83
4.	2022-23	0.00	0.00
5.	2023-24	879.01	0.00
	कुल	15836.09	14957.08

*****